

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5070/2022

पवन चौधरी

—अपीलार्थी

## बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा (राज.)।
5. दिनेश कुमार केसरा, वरिष्ठ अध्यापक, रा.उ.मा.वि. खुरडिया खुर्द, सांगोद, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.09.2022  
आदेश की दिनांक : 09.12.2022

## उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उद्योग नगर, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुरडिया खुर्द, सांगोद, कोटा किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के आशय से स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का वर्ष 2019 में गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया था तथा वर्तमान में उसका ईलाज भी चल रहा है, जो अनुलग्नक-2 से प्रकट होता है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उद्योग नगर, कोटा में कार्यरत है। अनुलग्नक-2 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के गुर्दे का प्रत्यारोपण जो वर्ष 2019 में किया गया है, जिसका वर्तमान में निरंतर उपचार चल रहा है। उक्त गंभीर उपचार एवं मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)